न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 76/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामनिवास पुत्र करन जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तहसील कठूमर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. रामखिलाड़ी पुत्र तोतारांम जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तहसील कठूमर – मृतक
2. पुष्पेन्द्र पुत्र रामखिलाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तहसील कठूमर ।
3. निर्मल कुमार पुत्र रामखिलाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तहसील कठूमर ।
4. रामोतार पुत्र करन जाति ब्राह्मण निवासी मसारी तहसील कठूमर ।
5. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री अमर चन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3
3. श्री राजबहादुर जांगिड़ अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3
4. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 577, 579 ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है । साबिक ख0 नं0 1423 से ख0 नं0 577, 578, 579, 580 कायम हुए जिनमें ख0 नं0 577 एवं 579 बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये गये हैं तथा ख0 नं0 578, 580 वादी के नाम दर्ज किये गये हैं जबकि बन्दोबस्त विभाग से पूर्व ख0 नं0 साबिक 1423 मिन रकबा 13 बिस्वा के वादी के पिता तोताराम के नाम दर्ज था तथा 1423 मिन 14 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1, 2 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 3 के पति करण के नाम दर्ज था । इसी प्रकार मौके पर काबिज रहकर काश्त

करते रहे तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज हैं । आराजी ख0 नं0 579 में वादी के पिता द्वारा बनाया हुआ एक पक्का कुआ मौजूद है तथा इसी आराजी में वादी की बोरिंग लगी हुई है तथा पक्की कोठरी बनी है जिस पर वादी दोनों फसलों का ख़लिहान भी डाला गया तथा इस कदर ख0 नं0 579 पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर उपयोग एवं उपभोग में ले रहा है । बन्दोबस्त ने हाल ख0 नं0 579 को मृतक करण से मिलकर गलत तरीके से ख0 नं0 579 को प्रतिवादी के नाम दर्ज करने में अहम भूल की है जिस कारण दावा पेश किया । प्रतिवादीगण जबरदस्त व्यक्ति हैं जो वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं । प्रतिवादीगण गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी में कार्य काश्तकारी करने में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं । इसलिए वाद वादीगण डिक्री फरमाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने बरूवे राजीनामा दि0 16.01.2017 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 16.01.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में वादी/रेस्पो0 का वाद दुरूस्ती का था । साबिक ख0 नं0 1423 के नये नम्बर 577 व 579 वाके ग्राम मसारी बनाये गये हैं । तहत न्यायालय ने ख0 नं0 577 व 579 प्रतिवादी के नाम गलत दर्ज कर दिये और इन्द्राज को कलमजन कर 577 में से 14 बिस्वा और 579 में से 5 बिस्वा का खातेदार वादी को घोषित किया है जबकि इस पर तहत न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा राजीनामा पेश किया गयां था । रामप्यारी की रीलीज डीड है जो देरी से पेश की गई है । रामप्यारी निर्णय से पहले ही मर चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से वजूद में आये राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निर्णय व डिक्री पारित की है ।

अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य कथन यह भी रहा है कि ख0 नं0 577 रकबा 14 बिस्वा का अपीलांट 5/6 हिस्से का खातेदार कांश्तकार है क्योंकि विवादित आराजी में वह पहले 1/6 हिस्से का सह खातेदार था तथा उनकी मां रामप्यारी से रीलीज डीड द्वारा 2/3 हिस्सा अलग से प्राप्त हो गया है । इस प्रकार अपीलांट के 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार तहत न्यायालय ने घोषित न करके प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया है । इसलिए ख0 नं0 577 रकबा 14 बिस्वा के लिए संशोधित डिक्री पारित करने का निवेदन किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि राजीनामा तस्दीक किये जाने के वक्त दिनांक 16.1.2017 को प्रतिवादी सं0 3 रामप्यारी जीवित नहीं थी और इसी राजीनामा के आधार पर मृतक प्रतिवादी सं0 3 के खिलाफ निर्णय व डिक्री तहत न्यायालय ने पारित की है जो कानूनन मृत्तक के खिलाफ पारित निर्णय एवं डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य व नलीटी है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने सशपथ अपने बयान दावा हाजा के समर्थन में रेकार्ड नहीं करवाये ना दावा का सत्यापित कराया और ना दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित

कराया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में बताया कि आराजी ख0 नं0 577, 579 ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है । साबिक ख0 नं0 1423 से ख0 नं0 577, 578, 579, 580 कायम हुए जिनमें ख0 नं0 577 एवं 579 बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये गये हैं तथा ख0 नं0 578, 580 वादी के नाम दर्ज किये गये हैं जबकि बन्दोबस्त विभाग से पूर्व ख0 नं0 साबिक 1423 मिन रकबा 13 बिस्वा के वादी के पिता तोताराम के नाम दर्ज था तथा 1423 मिन 14 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1, 2 के पिता तथा प्रतिवादी सं0 3 के पति करण के नाम दर्ज था । इसी प्रकार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा इसी प्रकार मौके पर काबिज हैं । आराजी ख0 नं0 579 में वादी के पिता द्वारा बनाया हुआ एक पक्का कुआ मौजूद है तथा इसी आराजी में वादी की बोरिंग लगी हुई है तथा पक्की कोठरी बनी है जिस पर वादी दोनों फसलों का खलिहान भी डाला गया तथा इस कदर ख0 नं0 579 पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज रहकर उपयोग एवं उपभोग में ले रहा है । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर उचित निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दि0 16.01.2017 का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य कथन यह रहा है कि ख0 नं0 577 रकबा 14 बिस्वा का अपीलांट 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है क्योंकि विवादित आराजी में वह पहले 1/6 हिस्से का सह खातेदार था तथा उनकी मां रामप्यारी से रीलीज डीड द्वारा 2/3 हिस्सा अलग से प्राप्त हो गया है । इस प्रकार अपीलांट के 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार तहत न्यायालय ने घोषित न करके प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया है । इसलिए ख0 नं0 577 रकबा 14 बिस्वा के लिए संशोधित डिक्री पारित करने का निवेदन किया । उभयपक्षों की बहस व तहत अदालत द्वारा पारित आदेश व अपील के तथ्यों के विवेचन उपरान्त हम अभिभाषक अपीलांट के तथ्यों से सहमत हैं और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 16.01.2017 में ख0 नं0 579 रकबा 0.05 है0 के संबंध में पारित आदेश यथावत रखें जाते हैं तथा ख0 नं0 577 रकबा 0.14 है0 के संबंध में पारित आदेश निरस्त किये जाकर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय व डिक्री दि0 16.01.2017 को आंशिक निरस्त किया जाता है तथा ख0 नं0 577 रकबा 14 ऐयर के प्रतिवादीगण रामनिवास पुत्र करण, रामोतार पुत्र करण, रामप्यारी बेवा करण जाति ब्राह्मण निवासी मसारी अपने पूर्व इन्द्राजों के अनुसार बदस्तूर खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड रहेगें । यदि रामप्यारी ने अपीलांट रामनिवास के पक्ष में यदि कोई रीलीज डीड का राजस्व रेकार्ड में अंकन कर लिया है तो उसी अनुसार अपीलांट खातेदार दर्ज रेकार्ड रहेगें । ख0 नं0 579 रकबा 0.05 है0 के वादीगण बरूये राजीनामा तहत अदालत के आदेश अनुसार खातेदार काश्तकार बदस्तूर रहेगें । जहां तक रामप्यारी के मृतक होने का प्रश्न है, राजीनामा उनकी ओर से पहले ही पेश किया जा चुका है तथा उनके

समस्त वारिसान पहल से ही रेकार्ड पर थे । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल द्फ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.7.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर